(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES (SHRIMATI RAMDULARI SINHA): (a) Yes. Sir.

(b) The High Power Action Group has been constituted under the chairmanship of Secretary, Department of Mines, and consists of representatives from State Transport Corporations, aluminium industry, Planning Commission, Department of Revenue and Research institutions. The objectives of this Group are to suggest measures for providing a thrust in the promotion of aluminum in the transport sector; to identify R&D efforts required, and to specify fiscal incentives etc. At its meeting held on 5.9.1985, it was decided to constitute three Committees to quantify fuel savings when aluminium is used in transport vehicles; development of suitable alloys; standardisation of parts and components of aluminium, and to study fiscal incentives required for promoting the use of aluminium in the transport sector.

Smuggling out of gems from Orissa

1620. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the clandestine mining of gems deposits in Bolangir, Kalahandi and Sambalpur Districts in Orissa and of smuggling of gems worth crores of rupees out of the State during the last few years by smugglers and traders; and

(b) if so, what are the details thereof and what action the Central Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES (SHRI MATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). Yes. Sir. The quantities and value of smuggled gem stones are not known. The State Government has, however, taken the following steps to prevent such clandestine activities:

(1) A number of cases have been filed in the Courts.

(2) The District Administration including Revenue, Forest and Police Departments have been instructed to enforce strictly the measures to prevent unauthorised extraction and removal of gems in these Districts.

(3) With a view to curb un-authorised mining and removal of gem stones, M/s. Orissa Mining Corporation Limited, a State Government Undertaking, has been entrusted with the work of exploratory mining and recovery of gems in these Districts. . . . . .

The Central Government does not propose to take any action in the matter.

एल्यूमिनियम की चोरी

1621. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिलासपुर, मध्य प्रदेश से प्रकाशित 17 अगस्त, 1985 के "बिलासपुर टाईम्स" में "सुनियोजित ढंग से एल्यूमिनियम की ट्रकें गायब, कई लाखों की धोखाधड़ी" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) इस मामले में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों/पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की चोरी/धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए प्रेषित एल्यूमिनियम से लदे ट्रकों के अनेक बार अपहरण और लूट जाने की या अन्य स्थानों को ले जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं । बताया जाता है कि 1975 में बाल्को द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से लेकर 12 ट्रांसपोर्टरों के 16 ट्रकों, जिनमें 175 टन एल्यूमिनियम सामग्री थी और जिसमें से 62 टन सामग्री बाल्को के निजी खाते में प्रेषित की गई थी, सशस्त्र डाकू या तो लूट ले गए या अन्य स्थानों को ले गए । शेष सामग्री खरीदारों की जिम्मेदारी और दायित्व पर प्रेषित की गई लेकिन बाल्को को कोई हानि नहीं हुई ।

(ग) से (ङ) जांच करने पर पता चला कि समस्या मुख्यतः कानून और व्यवस्था की थी और इसमें बाल्को के अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई ढिलाई या मिलीभगत नहीं पाई गई । बाल्को ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये है, वे हैं :—

(1) माल की सुपुर्दगी केवल बैंक द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों की मार्फत की जाती है, भले ही ट्रांसपोर्टर्स को ग्राहकों द्वारा मनोनीत किया गया हो ;

(2) बेची गई प्राथमिक धातु की कारखाना बाह्य खेप का ग्राहक के ट्रांसपोर्टर्स को मार्फत प्रेषण ग्राहक के जोखिम और जिम्मेदारी पर होता है ;

(3) अगर कोई खेप मार्ग में गुम हो जाती है और उसकी सामान्य बीमा पालिसी है, तो ट्रांसपोर्टर को देय भुगतान तब तक रोक लिया जाता है, जब तक कि बीमा कंपनी द्वारा दावे का निपटान नहीं कर दिया जाता है ;

(4) माल का प्रेषण ग्राहक के जोखिम और जिम्मेदारी पर होने की दशा में भी खेप के गुम होने पर मामले का निपटारा ग्राहकों, उनके बीमाकर्त्ताओं (अन्डर राइटर्स) और ट्रांसपोर्टर्स के बीच आपस में मिलकर लिया जाता है ; तथा

(5) कानून और व्यवस्था के स्थानीय अधिकारियों के निकट संपर्क रखा जाता है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा अर्जित लाभ

1622. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1985 की अवधि के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों को वर्ष वार कितना-कितना ब्याज अदा किया गया ;

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने पिछले वर्ष (1984-85 के दौरान ब्याज चुका देने तथा कानपुर स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (आई० आई० एस० सी० ओ०) का घाटा सम्मिलित कर लेने के बाद कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा विभिन्न वित्तीय अभिकरणों को अदा किये गये ब्याज का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड रुपये
1980-81	24.24
1981-82	17.36
1982-83	77.63
1983-84	129.08
1985-85	86.56